उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक – 26.09.2023

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा पुलिस कार्यालय, महोबा में जनसुनवाई कर जनसामान्य की समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया तथा सम्बन्धित को समस्या निस्तारण हेतु जरिये दुरभाष दिये आवश्यक निर्देश-

जनपद महोबा में पीड़ित/शिकायतकर्ता की समस्याओं के समुचित एवं समयबद्ध निस्तारण हेतु श्रीमती अपर्णा गुप्ता, पुलिस अधीक्षक, जनपद महोबा द्वारा पुलिस कार्यालय, महोबा में प्रतिदिन जनसुनवाई की जा रही है, जनता की समस्याओं के समाधान के क्रम में आज दिनांक 26.09.2023 को पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा फरियादियों/जनसामान्य की समस्याओं एवं समस्याओं को एक-एक करके गम्भीरता पूर्वक सुना गया तथा जनता की समस्याओं के समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण विधिक निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए सम्बन्धित को मौके पर जरिये दूरभाष आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

जनसुनवाई के दौरान प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक द्वारा सम्बन्धित को आदेशित किया गया कि मौके पर जाकर शिकायतों की तत्काल, निष्पक्ष व न्यायोचित जांच कर विधिक निस्तारण सुनिश्चित करें, लापरवाही की सूचना पर सम्बन्धित के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की चेतावनी प्रदान की गयी साथ ही शिकायतकर्ता से समय-समय पर जनसामान्य की समस्याओं के निस्तारण के सम्बन्ध में फीडबैक लिये जाने सम्बन्धी आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 26.09.2023

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनपद के सम्मानित जनप्रतिनिधियों के साथ क्षेत्रीय समस्याओं के सम्बन्ध में मासिक विचार विमर्श गोष्ठी का किया गया आयोजन...।

आज दिनांक 26.09.2023 को पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता द्वारा जनपद के सम्मानित जनप्रतिनिधियों के साथ समायिक विषयों पर परिचर्चा हेतु मासिक विचार-विमर्श गोष्ठी का आयोजन किया गया; जनपद में अपराध नियंत्रण, शान्ति एवं कानून-व्यवस्था, क्षेत्रीय समस्याओं एवं पुलिसिंग में अपेक्षित सुधार आदि विषयों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया, इस दौरान किसी प्रकार की कोई शिकायत / समस्या प्रकाश में नहीं लायी गयी।

इस गोष्ठी का मुख्य उद्देश्य सम्मानित मा0 सांसद/विधायक एवं उनके जनप्रतिनिधियों से संवाद स्थापित कर जनहित में प्राप्त सुझावों से जनपद की क्षेत्रीय समस्याओं के निस्तारण हेतु पुलिस व्यवस्था को और अधिक चुस्त-दुरुस्त करने में सहायता प्राप्त होगी साथ ही साथ जनप्रतिनिधियों को महत्वपूर्ण पहलुओं पर पुलिस के दृष्टिकोण से अवगत कराने तथा विचारों के आदान-प्रदान से एक-दूसरे को समझने में सहायक होगी ।

इस दौरान श्री अवधेश गुप्ता (जिलाध्यक्ष भा.ज.पा.), श्री राहुल अग्रवाल (मा0 सांसद प्रतिनिधि) मौजूद रहे। जनपदीय पुलिस से श्री सत्यम, अपर पुलिस अधीक्षक तथा समस्त क्षेत्राधिकारी जनपद महोबा उपस्थित रहे।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक – 26.09.2023

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना कोतवाली महोबा पुलिस टीम ने अवैध तमंचा व कारतूस के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तारः-

श्रीमती अपर्णा गुप्ता, पुलिस अधीक्षक, जनपद महोबा के निर्देशन में आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत जनपद में शान्ति एवं कानून व्यवस्था को अक्षुण्य बनाये रखने हेतु अवैध शस्त्रों की बिक्री एवं उनके निर्माण में प्रभावी रोकथाम व ऐसे अपराधों में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के अनुपालन में श्री सत्यम, अपर पुलिस अधीक्षक व क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय के निकट पर्यवेक्षण में दिनांक 26.09.2023 को थाना कोतवाली प्रभारी निरीक्षक श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा गठित टीम उ0नि0 सत्यवेन्द्र सिंह भदौरिया के द्वारा एक नफर अभियुक्त यासीन उर्फ घोडा पुत्र लाला सफात उम्र 20 वर्ष निवासी बिच्छू पहाडिया कालौनी थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा को कासीराम कालौनी के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 442/2023 धारा 3/25 आयुध अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया, बाद नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु भेजा गया।

बरामदगी–01 अदद देशी तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद होना।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1.उ.नि. सत्यवेन्द्र सिंह भदौरिया प्रभारी चौकी भटीपुरा थाना कोतवाली महोबा

2.कां0 मुकेश सिंह 3.कां0 रामकुमार तिवारी

गिरफ्तार अभियुक्त–

यासीन उर्फ घोडा पुत्र लाला सफात उम्र 20 वर्ष निवासी बिच्छू पहाडिया कालौनी थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा।

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक – 26.09.2023

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना अजनर की पुलिस टीम ने जिलाबदर शातिर अभियुक्त को अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस के साथ किया गिरफ्तार; गुण्डा एक्ट के तहत की गयी कार्यवाहीः-

श्रीमती अपर्णा गुप्ता, पुलिस अधीक्षक, जनपद महोबा के निर्देशन में आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत जनपद में शान्ति एवं कानून व्यवस्था को अक्षुण्य बनाये रखने हेतु अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 26.09.2023 को श्री सत्यम, अपर पुलिस अधीक्षक व सुश्री हर्षिता गंगवार, क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ के निकट पर्यवेक्षण में श्री शिवआसरे, प्रभारी निरीक्षक थाना अजनर द्वारा गठित की गयी उ.नि. दिनेश कुमार सिंह मय हमराह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने देखभाल क्षेत्र / गश्त व शातर जिलाबदर अपराधियों के सत्यापन के दौरान मुखबिर की सूचना पर रामूपुर मोड ग्राम रामूपुरा से जिलाबदर सातिर अभियुक्त बबलू उर्फ नितेश पटेल पुत्र रमेश पटेल उम्र करीब 25 वर्ष को पुलिस हिरासत में लिया अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तंमचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर नजायज की बरामदगी करते हुए गिरफ्तार किया गया। जिलाबदर अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं कब्जे से हुई बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना अजनर में मु.अ.स. 184/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व मु.अ.सं. 185/2023 धारा 10 उ0प्र0 गुण्डा नियन्त्रण अधि0 का अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1. उ.नि. दिनेश कुमार सिंह 2. का0 भारत मौर्य 3. का. विजय निरंकारी

अभियुक्त जिलाबदर अभियुक्त का विवरणः-

बबलू उर्फ नितेश पटेल पुत्र रमेश पटेल उम्र करीब 25 वर्ष निवासी ग्राम रामूपुरा थाना अजनर जनपद महोबा।

अपराध विवरणः- 1.मु.अ.सं. 76/2019 धारा 120बी/302/404/411 भादवि0 व 3(2)5 एस0सी0एस0टी0 एक्ट थाना अजनर 2. मु.सि.सि.नं. 184/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना अजनर 3. मु.सि.सि.नं. 185/2023 धारा 10 उ0प्र0 गुण्डा अधिनियम थाना अजनर 4. एनसीआर न0 161/2021 धारा 323/504 भादवि0 थाना अजनर

बरामदगीः- 01 अदद तंमचा मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर नजायज

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक – 26.09.2023

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु जनपदीय पुलिस बल द्वारा पैदल गश्त कर संदिग्ध व्यक्ति-वस्तु व वाहनों की, की गयी सघन चेकिंग, पैदल गस्त के दौरान आमजन व व्यापारियों से संवाद कर सुरक्षा का दिलाया गया भरोसा।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में आज दिनांक 26.09.2023 को जनपद में चाक-चौबन्द सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था तथा महिला सुरक्षा के दृष्टिगत जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारी, प्रभारी निरीक्षक/ थानाध्यक्ष/ चौकी प्रभारी द्वारा मय पुलिस बल के साथ सतर्क दृष्टि बनाए रखते हुए सायंकालीन पैदल गश्त की जा रही है ।

पैदल गश्त के दौरान जनपदीय पुलिस के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा प्रमुख मार्गों, चौराहों, बाजारों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों आदि पर संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु व वाहनों की गहनता से चेकिंग की गई तथा अतिक्रमण करने वाले व्यापारियों, दुकानदारों एवं अव्यवस्थित तरीके से वाहन खड़ा करने वाले लोगों से वार्ता कर शासन की मंशानुरुप उन्हें व्यवस्थित तरीका अपनाने के लिए दिये गए आवश्यक दिशा निर्देश व आमजन को आश्वस्त कराया गया कि जनपद महोबा पुलिस शांति, सौहार्द एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कटिबद्ध है। संवेदनशील स्थानों में संदिग्ध व्यक्तियों व वाहनों की सघन चेकिंग की गई साथ ही यातायात नियमों के उल्लंघन में वाहनों के ई-चालान किये गये।

महोबा पुलिस